



सराहनीय कार्य इटावा पुलिस



प्रेस नोट दिनांक 27.11.2024

चोरी की योजना बना रहे 02 अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार, कब्जे 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिंदा कारतूस व 01 अवैध चाकू तथा चोरी की घटना कारित करने में सहायक औजार किये गये बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण, अपर पुलिस अधीक्षक नगर इटावा के कुशल मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 26/27.11.2024 की रात्रि को थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत दतावली चौराहे पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 02 व्यक्ति लोकाशाही नहर पुल के पास बैठकर चोरी करने की योजना बना रहे है। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना फ्रेण्डस कालोनी पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर 02 अभियुक्तों को लोकाशाही नहर पुल के पास से समय 12.40 बजे रात्रि में गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. आकाश उर्फ चिन्ना पुत्र विनोद कंजड उर्फ भिन्डा निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा उम्र करीब 25 वर्ष।
2. निब्बू लाल पुत्र अमर सिंह निवासी कोकपुरा थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी:-

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर
2. 01 जिंदा कारतूस 315 बोर
3. 01 अवैध चाकू
4. 01 आरी
5. 01 टॉर्च
6. 01 पेंचकस
7. 01 लोहे की रॉड
8. 01 कटर
9. 01 आरी का ब्लेड
10. 02 मोबाइल ओपो कम्पनी के

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास –
अभियुक्त निबू लाल पुत्र स्व० अमर सिंह

1. मु०अ०स० 830/2015 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली जनपद इटावा
2. मु०अ०स० 32/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा
3. मु०अ०स० 71/2015 धारा 13 जी एक्ट थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
4. मु०अ०स० 32/2018 धारा 380/411 भादवि थाना जीआरपी जनपद इटावा
5. मु०अ०स० 25/2014 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना जीआरपी फिरोजाबाद
6. मु०अ०स० 59/2018 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना जीआरपी जनपद इटावा
7. मु०अ०स० 259/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा
8. मु०अ०स० 342/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस थाना फ्रेण्डस कालोनी इटावा

अभियुक्त आकाश उर्फ चिन्ना उर्फ लला पुत्र विनोद कंजड उर्फ भिण्डा

1. मु०अ०स० 86/2022 धारा 392/411 भादवि थाना इकदिल जनपद इटावा
2. मु०अ०स० 229/2022 धारा 292/411/413 भादवि थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
3. मु०अ०स० 452/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
4. मु०अ०स० 492/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा
5. मु०अ०स० 114/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बैदपुरा जनपद इटावा
6. मु०अ०स० 144/2022 धारा 392/411 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
7. मु०अ०स० 254/2020 धारा 411 भादवि व 41/102 सीआरपीसी थाना सिविल लाइन जनपद इटावा
8. मु०अ०स० 342/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु०अ०सं० 342/2024 धारा 313/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा ।

पुलिस टीम- थानाध्यक्ष श्री अमित मिश्रा थाना फ्रेण्डस कालोनी, उ०नि० हेमन्त कुमार, हे०का० पुष्पेन्द्र, का० धर्मेन्द्र मय टीम।